

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल
दूरभाष 0755-2583653, फ़ैक्स-2583651, ई-मेल: cpibhop@nic.in

क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2016-18/137
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11.10.18


जिला शिक्षा अधिकारी

जिला - भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ सीहोर, होशंगाबाद एवं छिंदवाडा।

विषय:- वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में वर्चुअल क्लास योजना अंतर्गत टेली टीचर्स के मानदेय बाबत ।
संदर्भ :- लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश क्रमांक कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2017/47 दिनांक 07.05.2018 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 49 दिनांक 07.05.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहे । वर्चुअल क्लास योजना अंतर्गत टेली टीचर्स को पारिश्रमिक राशि के भुगतान हेतु आबंटन की स्वीकृति आदेश जारी किये जाकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र चाहा गया था, किन्तु बड़े खेद का विषय है कि संदर्भित पत्र द्वारा स्मरण कराये जाने के बावजूद वांछित जानकारी अद्यतन अप्राप्त है ।


अतः कृपया उक्त के संबंध में जानकारी / वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावें ।


(राजेश तिवारी) 11/10/18
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2016-18/138
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11.10.18

1. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर ।
2. संबंधित वर्चुअल क्लास योजना अन्तर्गत टेली टीचर्स म0प्र0।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल
दूरभाष 0755-2583653, फैक्स-2583651, ई-मेल: cpibhop@nic.in


क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2017/47
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07.05.18

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला - भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद एवं छिंदवाडा।


विषय:- वर्ष 2016-17 में वर्चुअल क्लास योजना अंतर्गत टेली टीचर्स के मानदेय बाबत ।
संदर्भ :- लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश क्रमांक कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2017/40 दिनांक 20.03.2017 क्रमांक कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2017/119 दिनांक 24.10.2017 एवं आदेश क्रमांक कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2018/27 दिनांक 28.02.18

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश द्वारा वर्ष 2016-17 में वर्चुअल क्लास योजना अंतर्गत टेली टीचर्स को पारिश्रमिक राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी की गई जाकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र 15 दिवस की समयावधि में चाहा गया था, किन्तु अद्यतन अप्राप्त है । अतः कृपया संबंधित टेली टीचर्स को राशि का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल संचालनालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें ।


(प्रभात राज तिवारी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 07.05.18

पृष्ठा. क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2017/48
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग नर्मदापुरम, म.प्र।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल
दूरभाष 0755-2583653, फ़ैक्स-2583651, ई-मेल: cpibhop@nic.in

क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/ मानदेय/2018/27

भोपाल, दिनांक 28.02.18

आदेश

वर्चुअल क्लास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में माह जुलाई 2016 से फरवरी 2017 तक अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों/व्याख्याताओं (टेली टीचर्स) को पारिश्रमिक राशि (मानदेय) भुगतान करने हेतु संचालनालय के आदेश क्रमांक /कम्प्यू./वर्चु.क्लास/ मानदेय/2017/40 दिनांक 20.03.17 द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी, किन्तु वित्तीय सत्र समाप्त होने के कारण भोपाल जिले द्वारा भुगतान नहीं हो सका। पुनः संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक /कम्प्यू./वर्चु.क्लास/ मानदेय/2017/119 दिनांक 24.10.17 द्वारा स्वीकृति जारी की गई, किन्तु पुनः भोपाल जिले के टेली टीचर्स को मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया। अतः अब पुनः जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के मांगपत्र के आधार पर भोपाल जिले के सत्र 2016-17 के टेली टीचर्स को मानदेय भुगतान हेतु (जिन्हे राशि भुगतान नहीं की गई थी) जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को कुल राशि रुपये 1,76,700/- (रुपये एक लाख छियत्तर हजार सात सौ मात्र) का आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त राशि मांग संख्या 40-2202-02-001-5541-24-0101-V-002 मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत किया जाना होगा तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी योजना क्रियान्वयन के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।



(संजय कुमार)


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28.02.18

पृष्ठा. क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2018/28

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर।
2. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल म0प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. सभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल की ओर प्रेषित।
4. जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उक्त राशि दिनांक 31 मार्च 2018 के पूर्व आहरित कर सत्र 2016-17 में वर्चुअल क्लास का अध्यापन कार्य करने वाले टेली टीचर्स के मानदेय का भुगतान उनके खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित कर 15 दिवस में उपयोगिता प्रमाण-पत्र संचालनालय में प्रस्तुत करें।
5. संयुक्त संचालक विद्या (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6. सहायक संचालक (वित्त) स्थानीय की ओर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के सर्वर में इंद्राज कराने हेतु प्रेषित।
7. संबंधित वर्चुअल क्लास योजना अन्तर्गत टेली टीचर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल
दूरभाष 0755-2583653, फ़ैक्स-2583651, ई-मेल: cpibhop@nic.in

क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2018/49
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07.05.18

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला - भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद एवं छिंदवाडा।

विषय:- वर्ष 2017-18 में वर्चुअल क्लास योजना अंतर्गत टेली टीचर्स के मानदेय बाबत ।

संदर्भ :- लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश क्रमांक कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2018/23 दिनांक 24.02.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश द्वारा वर्ष 2017-18 में वर्चुअल क्लास योजना अंतर्गत टेली टीचर्स को पारिश्रमिक राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी की गई जाकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र 15 दिवस की समयवधि में चाहा गया था किन्तु अद्यतन अप्राप्त है । अतः कृपया संबंधित टेली टीचर्स को राशि का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल संचालनालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें



(प्रभात राज तिवारी)

संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 07.05.18

पृष्ठा. क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2018/50
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल/होशंगाबाद म.प्र. ।



संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल

दूरभाष 0755-2583653, फ़ैक्स-2583651, ई-मेल: cpibhop@nic.in

क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/ मानदेय/2018/23

भोपाल, दिनांक 24-02-18

आदेश

वर्चुअल क्लास योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में माह अगस्त 2017 से जनवरी 2018 तक अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों/व्याख्याताओं को कुल 565 कालखण्ड के लिये प्रति कालखण्ड रू0 300/- के मान से पारिश्रमिक राशि के भुगतान हेतु कुल राशि रू 1,69,500/- (रूपये एक लाख उनसत्तर हजार पाँच सौ मात्र) का आवंटन की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है।

स0क0	जिले का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी का डी0डी0ओ0 नं0	कुल कक्षाएँ	दी जाने वाली राशि
01	होशंगाबाद	1602003002	7	रू0 2100/-
02	सीहोर	3502003001	47	रू0 14100/-
03	रायसेन	2902003001	43	रू0 12900/-
04	विदिशा	4502003001	68	रू0 20400/-
05	भोपाल	0522003001	398	रू0 119400/-
06	राजगढ़	3002003001	1	रू0 300/-
07	छिंदवाडा	0702003001	1	रू0 300/-
			565	कुल रू0 169500/-

उक्त राशि मांग संख्या 40-2202-02-001-5541-24-0101-V-002 मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत किया जाना होगा तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी योजना क्रियान्वयन के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24.02.18

पृष्ठा. क्रमांक/कम्प्यू./वर्चु.क्लास/मानदेय/2018/24
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर।
2. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल म0प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. सभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल/होशंगाबाद/जबलपुर संभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाडा/होशंगाबाद/सीहोर/रायसेन/विदिशा/राजगढ़/भोपाल की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उक्त राशि दिनांक 31 मार्च 2018 के पूर्व आहरित कर सत्र 2017-18 में वर्चुअल क्लास का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों/व्याख्याताओं के खाते में जमा की जाना सुनिश्चित कर 15 दिवस में उपयोगिता प्रमाण-पत्र संचालनालय में प्रस्तुत करें।
5. संयुक्त संचालक विद्या (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6. सहायक संचालक (वित्त) स्थानीय की ओर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के सर्वर में इंद्राज कराने हेतु प्रेषित।
7. संबंधित वर्चुअल क्लास योजना अन्तर्गत टेली टीचर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके सम्पूर्ण खाता क्रमांक की जानकारी अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश